न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—453/2014/225 (2014/00019)

1. रामा पुत्र स्व0 कामड़,
2. जगदीश पुत्र रामा,
3. मुकेश पुत्र रामा,
   समस्त जाति भाम्बी, निवासी ग्राम दौलतपुरा—बलाईयान, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मोहम्मद अनिस पुत्र अब्दुल अजीज, जाति मुसलमान, निवासी लेखा नगर, नृसिंहपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, दिनांक 20.10.2014 अंतर्गत प्रकरण संख्या 35/2012.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 30.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश दिनांक 20.10.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जा0दी0 के तहत विरूद्ध अपीलांटस पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दौलतपुरा बलाईयान तह0 ब्यावर में स्थित खसरा नंबर 333/349 रकबा 00—11—10 बीघा, खसरा नंबर 337/350 रकबा 00—12—00 के खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त रामेश्वर व अन्य थे जिन्होंने बहुमूल्य प्रतिफल

के बदले आराजी खसरा नंबर 337/3350 रकबा 00–12–00 संपूर्ण व आराजी खसरा नंबर 333/349 रकबा 00–11–10 भूमि में से कुआं छोड़कर रकबा 00–10–00 भूमि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 को जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 17.2.2011 को बेचान कर दी एवं उक्त बैचाननामा के आधार पर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामांतकरण संख्या 29 दिनांक 5.7.2011 राजस्व अभिलेखों में बतौर खातेदार काश्तकार अंकित हो गया है । विक्रय पत्र के समय विक्रेता रामेश्वर ने प्रार्थी से अनुरोध किया था कि हाल में फसल बोने के लिये प्रतिवादी/अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को खेत का कब्जा संभला रखा है जब भी फसल कट जायेगी तब वादी/प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से प्राप्त कर लेवे व विक्रेता ने उसी दिन वादी को मालिकाना कब्जा संभला दिया था । बरसात होने पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 से 3 से विवादित आराजियात का कब्जा मांगा तो इंकार कर दिया । इसलिये यह वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 स्वंय उनके परिवारजन, नौकर–चाकर, हाली, एजेन्ट कोई भी वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भी हिस्से पर काश्त नहीं करे व न ही जबरन खड्डे खोद कर मिट्टी व पेडों का बेचान करे व न ही वादग्रस्त आराजी का स्वरूप बिगाड़े । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 20.140.2014 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उभयपक्ष को विवादित आराजियात की मौका स्थिति व अभिलेख की स्थिति यथावत् ताफैसला वाद तक रखने के आदेश से पाबंद किया है । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा अपने आदेश में विवादित भूमियों बाबत् राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जाना अंकित किया है जबकि स्वंय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 8.10.2014 के अनुसार अपीलांटस द्वारा मय सूची दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना उल्लेखित किया है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो संख्या 1 को लाभ पहुंचाने की गरज से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस द्वारा विस्तृत जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर विवादित भूमियों बाबत् अपना हक व अधिकार सिद्ध करते हुए राजस्व एजेन्सी द्वारा आपराधिक कृत्य कारित कर राजस्व रिकार्ड में किये गये परिवर्तन को भी सिद्ध कर दिया गया था जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का द्वारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17.10.2014 से भी होती है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । धारा 101 भारतीय साक्ष्य अधि0 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों एवं धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन सिद्ध किये जाने का भार प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 पर था जिसमें वह पूर्णतया असफल रहा है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य था । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलांटस का कब्जा काश्त स्वीकार कर अपीलांटस को पाबंद किये जाने का निवेदन

किया था जिससे यह सिद्ध था कि विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा काश्त था न कि प्रार्थी/रेस्पो0 का । विवादित भूमियां अपीलांटस की पैतृक संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिसका अंतरण स्वर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में किया जाना वर्जित है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर न कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थी के हक में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 28.2.2011 रामेश्वर द्वारा अन्य विधिक वारिसान के मुख्त्यारआम की हैसियत से निष्पादित किया गया है जबकि मुख्तयारआम किसी प्रकार से विधिक सम्मत नहीं होकर किसी भी भूमि का उल्लेख नहीं है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्राथी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.2.2011 द्वारा बहुमूल्य प्रतिफल के एवज में क्रय की तथा उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामांतकरण संख्या 29 दिनांक 5.7.2011 को स्वीकृत किया जाकर रेस्पो0 संख्या 1 को राजस्व अभिलेखों में खातेदार काश्तकार अंकित किया गया है । रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजियात का सद्भाविक क्रेता है जिसकी आराजी में किसी अन्य द्वारा दखलदांजी किये जाने पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावजी साक्ष्यो का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर विधिसम्मत् आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2008 (2) पेज 1414 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकर से यह स्पष्ट है कि ग्राम दौलतपुरा बलाईयान तह0 ब्यावर में स्थित खसरा नंबर 333/349 रकबा 00–11–10 बीघा, खसरा नंबर 337/350 रकबा 00–12–00 के खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त रामेश्वर व अन्य थे जिन्होंने बहुमूल्य प्रतिफल के बदले आराजी खसरा नंबर 337/3350 रकबा 00–12–00 संपूर्ण व आराजी खसरा नंबर 333/349 रकबा 00–11–10 भूमि में से कुआं छोड़कर रकबा 00–10–00 भूमि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 को जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 17.2.2011 को बेचान कर दी एवं उक्त बैचाननामा के आधार पर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामांतकरण संख्या 29 दिनांक 5.7.2011 राजस्व अभिलेखों में बतौर खातेदार काश्तकार अंकित हो गया था । इसके विपरीत अपीलांटस ने केवल मात्र कब्जे के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है । मूल वाद अभी अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । उक्त वाद में अपीलांटस को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इसका निर्धारण बाद साक्ष्य होगा किन्तु वर्तमान में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजियात का सद्भाविक क्रेता होकर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । विद्वान अधी0न्याया0 ने किसी भी पक्षकार को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो इस तथ्य को मध्यनजर रखकर उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा विवादित आराजियात के मौका व अभिलेख की स्थिति ताफैसला मूल वाद तक यथावत् रखने एवं काश्त नहीं करने बाबत् पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2014 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर